

30.6.18

पत्रावली आठ कैम्प कोर्ट उदयपुरवादी में पेश हुई।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण
दिनांक 29.10.2012 को प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण
दायरे होने के साथ तब प्रा.पत्र में अंकित भूमि को
निराकर कोई विवाद उत्पन्न होगा साबित नहीं है। केसी
स्थिति प्रस्तुत प्रा.पत्र अस्वास्थ्य निषेधाज्ञा का कोई
अंतिम नहीं रह गया है। प्रा.पत्र अस्वास्थ्य निषेधाज्ञा
इसी तब पर रवाना किया जाता है। पत्रावली
प्रा.पत्र लक्ष्मण देकर नम्बर से काम होता तथा भूमि
के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (सुपरी)